जोधपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2023/ 1909 दिनांक :: 16 जनवरी, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **16 दिसम्बर 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **16 दिसम्बर 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: गैंगमेन के पदनाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	प्राधिकरण में कार्यरत गैंगमेनो के पदनाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण श्रमिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा बारम्बार पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण में गैंगमेन पद पर कार्यरत कार्मिकों का पदनाम परिवर्तन कर सहायक कर्मचारी करवाने का निवेदन किया जा रहा हैं।

नगर विकास न्यास, जोधपुर के समय में 113 गैंगमेन कार्यरत थे, जो कि समय–समय पर सेवानिवृत होते रहने के कारण वर्तमान में 28 गैंगमेन नियमित रूप से कार्यरत हैं।

गैंगमेन पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का पे मैट्रिक्स लेवल–1 हैं, जो कि दोनों पदों का समान हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.26 (34) जविप्रा/संस्था/92/पार्ट दिनांक 02.12.2006 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति में प्रस्ताव लेकर प्राधिकरण में नियमित बेलदारों से विकल्प लेकर इनके विकल्प अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/अभि0 हैल्पर/वायरमैन हैल्पर के पद परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई, साथ ही समान संख्या में बेलदारों के पद समाप्त करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इत्यादि के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

1. तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर में वर्ष 1981–1982 से 113 गैंगमेन कार्यरत थे, समय–समय पर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृति अथवा स्वर्गवास होने से गैंगमेनों के पद समाप्त होते रहे तथा इन पदों पर आज तक कोई नई भर्ती नहीं की गई तथा वर्तमान में 28 गैंगमेन कार्यरत है।

Scanned with CamScanner

2. कार्यरत गैंगमेन को चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भांति कार्य आंवटित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न हैं।
3. प्राधिकरण सेवा नियमों में गैंगमेन से पदौन्नति का कोई चैनल नही है।
4. चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं गैंगमेन दोनो का पे–लेवल (वेतनमान) समान है।
5. इन वर्क चार्ज कर्मचारियों को वर्ष 1981–1982 से तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर में समयोजित किया गया।
6. वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में 28 गैंगमेन कार्यरत हैं, जिसकी सूची मय प्रथम नियुक्ति तिथि व जन्म तिथि सहित संलग्न है।
7. प्राधिकरण में वर्तमान में कार्यरत 28 गैंगमेन के पद समाप्त कर इतनी ही संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सहायक कर्मचारी) के नवीन पद सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना हैं।

पद परिवर्तन के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इत्यादि बनने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता पूर्व में जारी वरिष्ठता सूची में अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ होने का लिखा गया हैं।

राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.1 (14) नविवि/II/2009 जयपुर दिनांक 03.07.2014 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण में गैंगमेन व बेलदारों को सहायक कर्मचारी पद परिवर्तन बाबत् प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश प्रदत्त किये गये हैं।

प्राधिकरण में कार्यरत गैंगमनों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदनाम परिवर्तन बाबत् उनसे विकल्प पत्र लिये गये हैं। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर एंव राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.07.2014 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पदनाम परिवर्तन करने एंव गैंगमेन एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पे–मैट्रिक्स समान होने के कारण आर्थिक भार भी उत्पन्न नहीं होगा तथा उक्त पदनाम परिवर्तन से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने वाले कार्मिक वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ रहेगें।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान में कार्यरत 28 गैंगमेन के पद समाप्त कर इन गैंगमेन पदो को Dying Cadre घोषित करते हुए इतनी ही संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नवीन पद सृजन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

उक्त निर्णय की प्रस्तावना उपरान्त प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के 28 नवीन पदों के सृजन के बाद (15 पद पूर्व में स्वीकृत तथा 28 पद गैंगमेनो के समाप्ति उपरान्त नवीन सृजन) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के कुल 43 पद होंगे।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान में कार्यरत 28 गैंगमेन के पद समाप्त कर इन गैंगमेन पदो को Dying Cadre घोषित करते हुए 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नवीन पद सृजन करने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय उपरान्त प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के 21 नवीन पदों के सृजन के बाद (15 पद पूर्व में स्वीकृत तथा 21 पद गैंगमेनों के पद समाप्ति उपरान्त नवीन सृजित) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 36 पद होंगे।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 के अन्तर्गत अनुसूचि संख्या–VIII – सामान्य सेवाए में लिपिक वर्गीय संवर्ग के पुर्नगठन उपरान्त नियमों में संशोधन करवाने बाबत्।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (38) नविवि/II/2022 दिनांक 13.10.2022 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के लिए मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदो के पुर्नगठन की स्वीकृति उपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 के अन्तर्गत अनुसूचि का कैडर रिव्यू उपरान्त संख्या–VIII– सामान्य सेवाए में लिपिक वर्गीय संवर्ग के पुर्नगठन उपरान्त संशोधन करवाने बाबत्।	एजेण्डा प्राधिकरण बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 13.10.2022 के अन्तर्गत प्राधिकरण में मंत्रालयिक संवर्ग के पदो का पुर्नगठन किया जाकर निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	जो.वि.प्रा. में वर्तमान में स्वीकृत मंत्रालयिक पदों की संख्या	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ का प्रतिशत	पुर्नगठित पदों की संख्या
01.	संस्थापन अधिकारी (ग्रेड–पे 6000 L–15)	00	01	01
02.	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–पे 4800 L–12)	00	03	02
03.	अति० प्रशा० अधिकारी (ग्रेड–पे 4200 L–11)	01	08	05
04.	सहा० प्रशा० अधिकारी (ग्रेड–पे 3600 L–10)	03	17	11
05.	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड–पे 2800 L–8)	15	24	18
06.	कनिष्ठ सहायक (ग्रेड–पे 2400 L–5)	50	47	32
	योग	69	100 प्रतिशत	69

अतः राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.10.2022 के अनुसार अनुसूचि संख्या–VIII– सामान्य सेवाये, न्यूनतम अर्हता एवं अर्हकारी सेवा के अन्तर्गत संशोधन करवाने बाबत् प्रकरण राज्य सरकार को निम्नानुसार भिजवाये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं :–

अनुसूचि संख्या–VIII – सामान्य सेवाये
न्यूनतम अर्हता एवं अर्हकारी सेवा

क्रं. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदौन्नति द्वारा	पदौन्ति के लिए सिद्धान्त	पदौन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			तृतीय श्रैणी सेवा				
मंत्रालयिक संवर्ग							
(क) 01.	संस्थापन अधिकारी (ग्रेड–पे 6000	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	–	मंत्रालयिक संवर्ग में 25 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	प्रशासनिक अधिकारी	–

Scanned with CamScanner

	L–15)						
(क) 02.	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–पे 4800 L–12)	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	–	मंत्रालयिक संवर्ग में 25 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	अति0 प्रशा0 अधि0	–
(क) 03.	अति0 प्रशा0 अधि0 (ग्रेड–पे 4800 L–12)	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	–	सहा0 प्रशा0 अधि0 पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहा0 प्रशा0 अधि0	–
(क) 04.	सहा0 प्रशा0 अधि0 (ग्रेड–पे 3600 L–10)	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	–	वरिष्ठ सहायक पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	वरिष्ठ सहायक	–
(क) 05.	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड–पे 2800 L–08)	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	–	कनिष्ठ सहायक पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	कनिष्ठ सहायक	–
(क) 06.	कनिष्ठ सहायक/टेलीफोन ऑपरेटर (ग्रेड–पे 2400 L–05)	85 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 15 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण तथा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियत्रंण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इनफोरमेशन टेक्नोलोजी (RS-CIT) कोर्स का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित टंकण गति न्यूनतम सीमा	शैक्षणिक योग्यता एंव कम्प्यूटर योग्यता कॉलम संख्या 4 अनुसार तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव मय टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण	वरिष्ठता एवं योग्यता	चतुर्थ श्रेणी. कर्मचारी	सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जायेगी
(क) 07.	पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड–पे 2800 L–08)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा	–	–	–	–
(क) 08.	सहायक/भण्डारी/अवधाता (ग्रेड–पे 2800 L–08)	पदौन्नति द्वारा	–	स्नातक के लिए कनिष्ठ सहायक के रूप में 4 वर्ष की अर्हकारी सेवा एवं हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यार्थी के लिए 7 वर्ष की सेवा, 21.03.1985 से पूर्व नियुक्त सैकेण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभियार्थियो के लिए 8 वर्ष की सेवा (21.03.1985 से प्रभावी) टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में 5 वर्षो की अर्हकारी सेवा			

Scanned with CamScanner

(क) 09.	सांख्यिकी सहायक (5000–8000)	100 प्रतिशत पदौन्नति द्वारा/ यदि कोई अर्हता प्राप्त न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष	सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक डिग्री तथा/कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत	वरिष्ठता एवं योग्यता।	सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक, वरिष्ठ सहायक को स्थानान्तरणा करके भी भरा जा सकता हैं।	–
(क) 10.	पुनर्वास अधिकारी (ग्रेड–पे 3600 L–10)	लिपिक वर्गीय संवर्ग में से चयन के आधार पर विकल्प लेकर भरा जायेगा	–	योग्यता के आधार पर	कनिष्ठ सहायक/सहायक के रूप में 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा	–	–

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम नियम लागू होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार सेवानियमों में संशोधन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 से स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान कर दी गई है। नव सृजित पदों को सेवा नियमों में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निजी संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनगठन किये जाने के सम्बन्ध में।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (38) नविवि/II/2022 पार्ट जयपुर दिनांक 25.11.2022 के अन्तर्गत अधीनस्थ विभागों में निजी संवर्ग के स्वीकृत पदो के पुर्नगठन किये जाने हेतु नोर्म्स निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना चाही गई हैं, जिसके क्रम में कार्यकारी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णय अनुसार सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जानी हैं।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (38) नविवि/II/2022 पार्ट जयपुर दिनांक 25.11.2022 के द्वारा निजी संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुर्नगठन की सूचना चाही गई हैं, जिसका प्रस्ताव कार्यकारी समिति में रखा जाता हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

उपरोक्त आदेश की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भी निजी संवर्ग के स्वीकृत पदो के पुर्नगठन किया जाना हैं। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निजी संवर्ग के निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :–

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
01.	निजी सचिव	01
02.	वरिष्ठ निजी सहायक	02
03.	निजी सहायक	06
04.	स्टेनो	06
योग		15

उपरोक्त पत्र अनुसार प्राधिकरण में निम्नानुसार निजी संवर्ग के पदों का पुर्नगठन हेतु प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना हैं।

क्रं. सं.	पदनाम	वर्तमान स्वीकृत पद	प्रतिशत	संशोधित पद	संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ का प्रतिशत
1.	वरिष्ठ निजी सचिव (ग्रेड–पे 6600 L–16)	शून्य	शून्य	01 नवीन पद सृजन	6
2.	निजी सचिव (ग्रेड–पे 6000 L–15)	01	7	01	6
3.	अतिरिक्त निजी सचिव (ग्रेड–पे 4800 L–12)	00	00	03	19
4.	वरिष्ठ निजी सहायक (ग्रेड–पे 4200 L–11)	02	13	0	0
5.	निजी सहायक ग्रेड–I (ग्रेड–पे 4200 L–11)	06	40	04	25
6.	निजी सहायक ग्रेड–II (ग्रेड–पे 3600 L–10)	06	40	07	44
योग		15	100	16	100

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निजी संवर्ग के स्वीकृत पदो के पुर्नगठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनुमत टेक्सटाईल/बायो–डीजल उद्योगों को अनुज्ञेय किये जाने एवं जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में औद्योगिक भू–उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योगों यथा वाईट केटेगरी के उद्योग, हेण्डीकाफ्ट उद्योग, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनुमत उद्योगों को अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में।

Scanned with CamScanner

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनुमत टेक्सटाईल/बायो–डीजल उद्योगों को अनुज्ञेय किये जाने एवं जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में औद्योगिक भू–उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योगों यथा वाईट केटेगरी के उद्योग, हेण्डीकाफ्ट उद्योग, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनुमत उद्योगों को अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 02/2023 वीं बैठक दिनांक 05.01.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई जिसमें जोन–3 के निम्नलिखित 15 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गयाः–

एजेण्डा सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	मौके पर उपयोग
1.	बी.आई. टैक्स प्रा.लि. जरिये श्री मनोज कुमार पुत्र श्री तखतमल	सालावास	1071/111, 1068/954	4414.70 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
2.	श्रीमती ज्योति राठी पत्नी श्री दीपक श्रीमती हीरा पाण्डे पत्नी श्री जगदीश	जोधपुर	1518/130, 1910/1512	01.09.07 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
3.	श्री महेश धनकानी पुत्र श्री थावरदास, श्रीमति रश्मि पत्नी श्री महेश धनकानी	जोधपुर	1616/1096	02.10.00 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
4.	मोहम्मद याकूब, मो. मेहबूब पुत्रान् श्री नूर मोहम्मद	जोधपुर	992/740 मीन 2, 992/740 मीन 3	01.06.16 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
5.	श्रीमती पुष्पा चुंगलानी पत्नी श्री रमेश चुंगलानी	धिनाणा की ढाणी	470/21	01.17.05 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
6.	श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायणराम	धिनाणा की ढाणी	467/12	1562.08 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
7.	श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओमप्रकाश व अन्य	धिनाणा की ढाणी	468/5, 470/14	02.12.06 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
8.	श्री अनिल बोथरा पत्नी श्री नानकदास	धिनाणा की ढाणी	470/19	01.03.19 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
9.	श्री रणछोडराम पुत्र श्री हनुमानराम व अन्य	धिनाणा की ढाणी	467/15	00.19.12 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
10.	श्री कल्पित बोथरा पुत्र श्री जसराज	धिनाणा की ढाणी	467/4	01.00.11 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
11.	श्रीमती दौलत कंवर पत्नी श्री पारसमल	धिनाणा की ढाणी	470/26	1695 वर्गमीटर	टेक्सटाईल उद्योग
12.	सनसिटी होल्डिंग्स एण्ड टेडिंग लि. जरिये श्री राजीव पुत्र श्री जतन भण्डारी	धिनाणा की ढाणी	467/6	02.04.13 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
13.	श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायणराम	धिनाणा की ढाणी	467/11	00.19.05 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग
14.	मै. रॉयल आर्ट इण्डस्ट्रीय जरिये भागीदार श्री ओमप्रकाश	जोधपुर	1595/1096	02.10.00 बीघा	बायो–डीजल उद्योग
15.	मैं अनिल टेक्सटाईल प्रो श्री नानकराम जी पुत्र श्री आत्माराम	जोधपुर	1494/939, 1499/939	01.00.16 बीघा	टेक्सटाईल उद्योग

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की बैठक में प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किये गयेः–

01. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की पुस्तिका में उल्लेख अनुसार जोधपुर में इंजिनियरिंग, मोटर पार्टस, पशु आहार, कृषि यन्त्र, ग्वार गम, टेक्सटाइल, स्टील बर्तन, स्टोन क्रेशिंग, खिलौने, हैन्डीकाफ्टस,

Scanned with CamScanner

फर्नीचर, हैण्डलूम, हौजरी, मसाला निर्माण, खाद्य पदार्थ के उत्पादन से संबधित उद्योग स्थापित हैं एवं लोगों की आजीविका एवं रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

02. सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण में राजस्व ग्राम जोधपुर, धिनाणा की ढाणी तथा सालावास में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों द्वारा मौके पर टेक्सटाईल उद्योग संचालित किये जा रहे है तथा जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकरणों का भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। जोन स्तर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त समस्त 15 प्रकरणों में धारा 90/ए के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के औद्योगिक भूखण्डों हेतु न्यूनतम 18 मीटर पहुँच मार्ग आवश्यक है। आवेदित भूमि के सामने मौके पर लगभग 12–18 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध है। उपरोक्त सूची में एजेण्डा संख्या 1, 13 व 14 को छोडकर शेष 12 प्रकरणों में मौके पर टेक्सटाईल उद्योग संचालित है। एजेण्डा संख्या 14 में मौके पर बायो–डीजल उद्योग संचालित है। एजेण्डा संख्या 1 व 13 में वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है एवं टेक्सटाईल उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है।

03. निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.02.2021 को किया गया है, जिसमें वर्ष 2031 तक के लिए औद्योगिक क्षेत्रफल 14884.91 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित की गई हैं तथा शहर में स्थित प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों को शहर से दूर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदूषित उद्योग यथा गैस, ज्वलनशील पदार्थ व दुर्गन्ध फैलाने वाले उद्योग आदि आबादी क्षेत्र में अनुज्ञेय नहीं किये गये है। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान– 2031 की औद्योगिक भू–उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries ही अनुज्ञेय की गयी है तथा टेक्सटाईल व अन्य Polluted उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञेय किया जाना उचित नही है।

04. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर (RM, RIICO) द्वारा अवगत करवाया गया कि RIICO Disposal of Land Rules, 1979 (as amended upto 30.06.2022) में Form "B" List of Obnoxious Industries संलग्न है (परिशिष्ट–1 पर संलग्न) परंतु Non-obnoxious Industries की पृथक से सूची उपलब्ध नही है। साथ ही List of Obnoxious Industries में 17 तरह के उद्योगों का उल्लेख किया गया है जिसमें भी टेक्सटाईल उद्योग का पृथक से स्पष्ट उल्लेख नही है। उक्त कम में क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर (RO, RPCB) द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सूची के बिन्दु संख्या 17 *"In general those use may be obnoxious or offensive by reason of emission of odour, liquid, dust smoke, gas, noise, vibration or fire hazards"* में टेक्सटाईल उद्योगों को सम्मिलित माना जा सकता है एवं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु निर्धारित केटेगरी रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन एवम् वाईट केटेगरी में से टेक्सटाईल उद्योग रेड केटेगरी के अंतर्गत आता है।

05. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1972 से विद्यमान है तथा मास्टर प्लान के अस्तित्व में आने से पूर्व ही उक्त क्षेत्र व आस–पास के क्षेत्रों में Polluted Industries यथा स्टील, टेक्सटाईल, केमिकल व अन्य रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन केटेगरी के उद्योग संचालित है। साथ ही अवगत करवाया गया कि टेक्सटाईल व इस प्रकार के अन्य उद्योगों की स्थापना से पूर्व राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोधपुर से वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त होने के उपरांत ही अनुज्ञेय की जाती है।

06. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में जोधपुर में 303 टेक्सटाईल उद्योग वैध है एवं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से पंजीकृत है तथा कुछ टेक्सटाईल उद्योग जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट (JPNT) से जुड़े हुए है, साथ ही जिन उद्योगों के परिसर में स्वयं का जेड.एल.डी./ई.टी.पी. (Zero Liquid Discharge/ Effluent Treatment Plant) प्रणाली स्थापित हो उन उद्योगों को अलग से सी.ई.टी.पी. का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। साथ ही नये टेक्सटाईल उद्योगों की स्थापना हेतु यदि आवेदक एन.जी.टी. (NGT) द्वारा निर्धारित नॉर्म्स की पालना करता है तथा परिसर में भूखण्डधारक द्वारा जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता हैं तो नये टेक्सटाईल उद्योग अनुज्ञेय किये जा सकते हैं तथा उक्त प्रकार के प्रकरणों में एन.जी.टी. की कोई रोक नही है।

Scanned with CamScanner

07. निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि टेक्सटाईल उद्योगों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 25.02.2022 को Original Application संख्या 34/2014, 32/2014 व 329/2015 में निर्णय पारित किया गया है तथा जोधपुर एवं आस–पास के क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु उक्त निर्णय की पालना राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, रीको एवं जोविप्रा द्वारा सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

08. क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा उद्योगों हेतु रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन एवम् वाईट केटेगरी निर्धारित की गई है। केवल वाईट केटेगरी के उद्योगों हेतु अनापत्ति की आवश्यकता नही होती है परंतु रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन केटेगरी के उद्योगों हेतु उनके द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रेषित की जाती है। साथ ही रिक्त भूखण्डों में यदि भूखण्डधारक स्वयं के भूखण्ड में जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता हैं, तो उक्त भूखण्डों हेतु राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति प्रेषित किये जाने पर अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

09. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की मिश्रित भू–उपयोग की डी.सी.आर में अप्रदूषित हेण्डीक्राफ्ट उद्योगों को अनुज्ञेय किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि हेण्डीक्राफ्ट उद्योग को ग्रीन केटेगरी में रखा गया है जिसके लिए राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

10. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में से एजेण्डा संख्या 01, 13 व 14 को छोडकर शेष समस्त प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें *"प्रश्नगत इकाई संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयत्र (सी.ई.टी.पी.) सांगरिया जोधपुर की सदस्य इकाई है एवम् इस इकाई द्वारा जनित औद्योगिक उच्छिष्ठ का उपचार सी.ई.टी.पी सांगरिया में किया जाता है, तथा राज्य मण्डल को इस उद्योग के भू–उपयोग परिवर्तन से कोई आपत्ति नही है"* का उल्लेख किया गया है। एजेण्डा संख्या 01 व 13 में आवेदित भूमि में कोई निर्माण नही होने के कारण आवेदक यदि भूखण्ड में स्वयं के स्तर पर जेड.एल.डी./ई.टी.पी. प्रणाली स्थापित करता है, तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड को कोई आपत्ति नही है, का उल्लेख किया गया है।

11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा व रीको, जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि RIICO क्षेत्र के पास लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में प्रस्तावित सभी प्रकरणों में रीको से Peripheral Development Charges के संबंध में अनापत्ति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में विद्यमान व नवीन प्रस्तावित टेक्सटाईल एवं अन्य उद्योगों की स्थापना से रोजगार की सम्भावनाओं तथा Investment Opportunities को दृष्टिगत रखते हुए चर्चा उपरांत बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

01. समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के 15 प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 14 को छोडकर शेष समस्त प्रकरणों का जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार औद्योगिक भू–उपयोग होने, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर की अनापत्ति प्राप्त होने तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन से पूर्व में मौके पर टेक्सटाईल उद्योग स्थापित होने आदि को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा प्रकरणों को कार्यकारी समिति के माध्यम से प्राधिकरण बैठक में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की गई:–

a. टेक्सटाईल उद्योगों के एजेण्डा संख्या 1 व 13 में मौके पर निर्माण नही हो रखा है परंतु आवेदक द्वारा जेड.एल.डी./ई.टी.पी. का प्रावधान स्वयं के परिसर में किये जाने तथा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही बी.पी.सी. (एल.पी.) के स्तर से ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही की जावें।

b. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.02.2022 को टेक्सटाईल उद्योगों के संबंध में पारित निर्णय की पूर्ण पालना हेतु आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें।

c. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर/संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रेषित करते समय नियमानुसार आवश्यकता होने पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environment Impact Assessment) की सुनिश्चितता की जावें।

d. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति एवं वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) जारी की गई हो।

e. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।

Scanned with CamScanner

f. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु न्यूनतम आवश्यक 18 मीटर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावें।

g. आवेदित भूमि के सामने यदि 18 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध नही है, तो सडक मार्गाधिकार में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

h. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।

i. प्रस्तावित भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाने की सुनिश्चितता की जावें।

j. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2022 की अनुपालना में वृक्षारोपण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

02. जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान में औद्योगिक भू–उपयोग की डी.सी.आर. में केवल Non-obnoxious Industries ही अनुज्ञेय की गई है। अतः समिति द्वारा औद्योगिक भू–उपयोग की डी.सी.आर में Non-obnoxious Industries के अतिरिक्त निम्न प्रकार के उद्योगों को भी सम्मिलित किये जाने की अनुशंषा की गईः–

a. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा निर्धारित वाईट केटेगरी के उद्योग।

b. हेण्डीक्राफ्ट उद्योग

c. अन्य सभी प्रकार के उद्योग जिनमें राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जोधपुर द्वारा अनापत्ति एवं वैध स्थापना सम्मति (Consent to Establish) तथा संचालन सम्मति (Consent to Operate) जारी की गई हो।

बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्यकारी समिति की उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में योजना का नामकरण करने के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेन्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में योजना का नामकरण करने की अभिशंषा की गई है।

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में कलाकारों एवं घुमन्तु–अर्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के लिए योजना लांच करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 08 के बिन्दु संख्या 03 के निर्णयानुसार उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने/लांच करने/विकसित करने का निर्णय लिया गया था।

अतः प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय की पालना में उक्त योजना को लांच/विकसित करने से पूर्व उक्त योजना का नाम 1. संगम विहार, 2. कलाकार विहार, 3. कलाकार

Scanned with CamScanner

नगर, 4. लोक कला नगर में से एक नाम रखने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में कलाकारों एवं घुमन्तु–अर्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के लिए योजना का नाम "लोक कला नगर" रखने का निर्णय लिया गया। कला एवं संस्कृति विभाग में कलाकार की स्वीकृत परिभाषा के तहत कलाकारों को शामिल किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: **श्री सुनिल सिंह कालुन्धा पुत्र श्री अमर सिंह भूखण्ड संख्या 223 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत्।**

क.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्री सुनिल सिंह कालुन्धा पुत्र श्री अमर सिंह भूखण्ड संख्या 223 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना का भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है।

श्री सुनिल सिंह कालुन्धा पुत्र श्री अमर सिंह भूखण्ड संख्या 193 (कॉर्नर) सेक्टर 1 माप 178.37 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 22.02.2018 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था। उक्त भूखण्ड पर नाले का निर्माण होने के कारण भूखण्ड का आकार कम हो गया इसलिए प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 223 (कॉर्नर) सेक्टर 1 रामराज नगर योजना की लिखित सहमति प्राधिकरण में प्रस्तुत की है।

भूखण्ड संख्या 223 (कॉर्नर) सेक्टर 1 रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्राधिकरण की निम्न शाखाओ से रिपोर्ट ली गयी जो कि निम्न प्रकार है:–

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 223 (कॉर्नर) सेक्टर 1 रामराज नगर योजना मौके पर रिक्त है तथा भूखण्ड का माप 178.37 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है तथा उक्त भूखण्ड कॉर्नर का है। भूखण्ड की साइज 178.37 वर्गमीटर है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड संख्या 223 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना का निलामी द्वारा विक्रय नही किया गया है।

अतः प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार रामराज नगर योजना भूखण्ड संख्या 223 (कॉर्नर) सेक्टर 1 माप 178.37 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति के आधार पर रामराज नगर योजना भूखण्ड संख्या 223 (कॉर्नर) सेक्टर–1 प्रार्थी को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्रीमती निर्मला सालेचा पत्नि नरेश भूखण्ड संख्या 35 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्रीमती निर्मला सालेचा पत्नि नरेश भूखण्ड संख्या 35 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है।

श्रीमती निर्मला सालेचा पत्नि नरेश भूखण्ड संख्या बी–165 पूर्वी पाल रोड योजना 252 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था। उक्त योजना में खसरा विवाद होने के कारण प्रार्थीनी द्वारा भूखण्ड संख्या 35 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर योजना की लिखित सहमति प्राधिकरण में प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार भूखण्ड शिफ्टिंग बाबत् उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया कि भूखण्ड समकक्ष दिया जावें समान क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नही हो तो लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षेत्रफल का भूखण्ड दे दिया जावें तथा प्लॉट शिफ्टिंग में राजीव गांधी नगर योजना, आनंद विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर स्थानान्तरण/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावें।

भूखण्ड संख्या 35 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्राधिकरण की निम्न शाखाओ से रिपोर्ट ली गयी जो कि निम्न प्रकार है:–

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ए भूखण्ड संख्या 35 मौके पर रिक्त है तथा भूखण्ड का माप 252 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड अन्य किसी को जारी नही है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 35 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा से संबंधित कोई रेकर्ड निलामी शाखा में उपलब्ध नही है।

अतः प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ए भूखण्ड संख्या 35 माप 252 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति के आधार पर राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ए भूखण्ड संख्या 35 प्रार्थी को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री मोहनलाल पुत्र आईदान जी भूखण्ड संख्या बी–47 पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र भूखण्ड आवंटन बाबत्।

Scanned with CamScanner

क.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्री मोहनलाल पुत्र आईदान जी भूखण्ड संख्या बी–47 पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

श्री मोहनलाल पुत्र आईदान जी भूखण्ड संख्या बी–47 पूर्वी पाल रोड योजना 252 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 04.08.1989 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था।

उक्त भूखण्ड का मौके पर अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी द्वारा अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णयानुसार भूखण्ड शिफ्टिंग बाबत् उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया कि भूखण्ड समकक्ष दिया जावें समान क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नही हो तो लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षेत्रफल का भूखण्ड दे दिया जावें तथा प्लॉट शिफ्टिंग में राजीव गांधी नगर योजना, आनंद विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर स्थानान्तरण/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावें।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णय की पालना में प्रार्थी से राजीव गांधी नगर योजना, आनंद विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर अन्यत्र भूखण्ड हेतु सहमति पत्र जारी किया गया जिसकी प्रार्थी द्वारा राजीव गांधी नगर योजना के सेक्टर ई भूखण्ड संख्या 83 में लिखित सहमति प्रस्तुत की गयी।

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ई भूखण्ड संख्या 83 मौके पर रिक्त है तथा भूखण्ड का माप 252 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का है।

वसुली शाखा तथा निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है। उक्त भूखण्ड का आवंटन किसी को भी नही किया गया है।

अतः प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ई भूखण्ड संख्या 83 माप 252 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का भूखण्ड आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति के आधार पर राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ई भूखण्ड संख्या 83 आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 किस्म बारानी प्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर प्रयोजनार्थ 4093.7 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव

Scanned with CamScanner

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम तिंवरी खसरा संख्या 474/6 किस्म बारानी प्ट में भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन पेश किया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है और मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी–2031के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है एवं च्नइसपब नजपसपजपमे को सभी सडक पर अनुज्ञेय है। नविवि के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार राजकीय उपयोग हेतु प्रस्तावित उपयोग अनुज्ञेय किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु कोई पत्रावली विचाराधीन नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 01.08.2022 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी खसरा संख्या 474/6 में 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। स्टाफ क्वार्टर हेतु अतिरिक्त भूमि की माँग की है।

अतः पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2022 को समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिसमें त्रुटिवंश 4093.7 वर्गमीटर किस्म बारानी–चतुर्थ में से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ क्वार्टर के लिए 05 बीघा भूमि आवंटन का अंकित हो गया था परन्तु वास्तव में 5 बीघा भूमि मे से 4093.7 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव था निर्णय में सशोंधन हेतु प्रकरण पुनः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए "5 बीघा भूमि में से 4093.7 वर्ग मीटर भूमि" त्रुटि सुधार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 से 96 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना की शर्तो के निर्धारण व आरक्षित वर्गो लॉटरी निकालने के संबंध में।**

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 से 96 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना की शर्तो के निर्धारण व लॉटरी निकालने की प्रक्रिया

Scanned with CamScanner

		की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत्।

प्राधिकरण के राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 से 96 पर स्थित उद्योग विहार योजना की शर्तो का निर्धारण एवं आरक्षित वर्गों की लॉटरी निकालने के संबंध में दिनांक 14.12.2022 को शाम 03.00 बजे सचिव महोदय के कक्ष में निदेशक विधि, निदेशक आयोजना, उपायुक्त जोन–3, क्षेत्रीय प्रबंधक रीको लिमिटेड, जोधपुर एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के साथ बैठक आयोजित की गई।

प्राधिकरण की उद्योग विहार योजना का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 तथा प्राधिकरण बैठक दिनांक 04.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में किया गया। उद्योग विहार योजना की राज्य सरकार से स्वीकृति पत्र दिनांक 28.10.2022 को सक्षम स्वीकृति के अनुसार उद्योग विहार योजना के कॉर्नर भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से करने तथा शेष भूखण्डों का आवंटन लॉटरी से किया जाना है। योजना के औद्योगिक भूखण्डों के निष्पादन विकास एवं रख रखाव के नियम एवं शर्ते राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.12.2021 एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 में लिये गये निर्णय के अध्यधीन रहते हुए शेष शर्ते रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 के अनुसार किया जाना है।

बैठक में आरक्षित वर्गो की लॉटरी निकाली गई तथा रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 के प्रावधानो के बारे में चर्चा कर बैठक का कार्यवाही विवरण से जारी किया गया। बैठक दिनांक 27.12.2022 का कार्यवाही विवरण कार्यकारी समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव एवं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटित भूखण्ड को आवंटन से 5 वर्ष तक बेचान नहीं किये जाने की शर्त भी अंकित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: राजस्व ग्राम मोगड़ाकलां के खसरा संख्या 221 व 226 कुल रकबा 76.41 बीघा में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पत्रकार/मीडिया आवासीय योजना विकसित करने के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं मेंअभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम मोगड़ाकलां के खसरा संख्या 221 व 226 कुल रकबा 76.41 बीघा में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पत्रकार/मीडिया आवासीय योजना के संबंध में दिनांक 20.12.2022 को श्रीमान् आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन की अभिशंषा की गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम मोगड़ाकलां के खसरा संख्या 221 व 226 कुल रकबा 76.41 बीघा में जोधपुर के मूल निवासी अधिस्वीकृत पत्रकारों एंव मीडिया कर्मियों के लिये जोधपुर–पालीरोड़ पर राजस्व ग्राम मोगड़ा कलां में पत्रकार/मीडियाकर्मी आवासीय योजना विकसित कर नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 17.08.2021 को ग्राम मोगड़ाकलां के खसरा संख्या 221 व 226 कुल रकबा 76.41 बीघा में जोधपुर के मूल निवासी

Scanned with CamScanner

अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों के लिये पत्रकार कॉलोनी का ले–आऊटप्लान अनुमोदित किया गया। राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(4) के प्रावधानों के अंतर्गत * व स्ळ हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाने का प्रावधान है परन्तु ले–आऊट प्लान समिति द्वारा पत्रकारों/मीडियाकर्मियों की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुये EWS व LIG वर्ग हेतु भूखण्ड आरक्षित का प्रावधान नहीं रखने का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8(2) व नियम 14 के अंतर्गत प्रस्तावित आवासीय योजना के 20 प्रतिशत भूखण्डों को नीलामी द्वारा आवंटन करने का प्रावधान कर रखा है परन्तु श्रीमान प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के अर्द्धशासकीय पत्रांक 2317 दिनांक 07.11. 2022 के निर्देशों के कम में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. वर्तमान मास्टरप्लान के अनुसार योजना क्षेत्र का भू–उपयोग आर–जोन है।ज्ञातव्य है कि योजना का ले–आउट प्लान, समिति की बैठक दिनांक 17.08.2021 में पारित किया जा चुका है। जिसके अनुसार योजना में कुल भूखण्ड 287 है, जिनमें से 56 कॉर्नर भूखण्ड है। कॉर्नर भूखण्डों के आवंटन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. योजना का रैरा पंजीकरण करवाने के साथ उपयुक्त बैंक के साथ सहभागिता करते हुये आवेदकों हेतु निर्देशिका बुकलेट ;समूल्य द्धजारी करने हेतु श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।
3. उक्त योजना के संबंध में वर्ष 2013 में निकाली गई लॉटरी में विभिन्न श्रेणी के कुल 200 सफल आवेदक पाये गये तथा 269 आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया। इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम सफल आवेदकों को भूखण्ड का आवंटन किया जाये। तत्पश्चात अपात्र व्यक्तियों की पुनः जांच उपरान्त यदि पात्र आवेदक हो तो उन्हे वरीयता दी जाये। अंत में नये आवेदकों के लिये पात्रता अनुसार आवंटन किये जाये। नये सिरे से आवेदन करने वाले आवेदकों का पंजीकरण शुल्क रू. 25000/–होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी आवेदकों को एक ही श्रेणी मानते हुये एक ही साईज के भूखण्डों का आवंटन किया जाये।
4. भूखण्डों की आरक्षित दर के संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना की समीपवर्ती आवासीय योजना की प्रचलित दर को आधार मानकर निर्धारण किया जायें।
5. ई डब्ल्यु एसमेंशिथिलता हेतु बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः प्रकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष किये जाने हेतु अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव एवं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 की कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही निम्नानुसार निर्णय भी लिये गयेः–

1– योजना की समीपवर्ती योजना की आरक्षित दर के आधार पर इस योजना की आरक्षित दर मानी जाकर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे,

2– योजना में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्डों का प्रावधान नहीं रखने हेतु राज्य सरकार से छूट प्राप्त की जावे, तथा

3– योजना में योग्य आवेदकों को भूखण्ड़ों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों की सूची निम्नानुसार है।

Scanned with CamScanner

मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों की समय समय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है। पूर्व में ऐसे समान प्रकृति के प्रकरणों को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 02.08.2019 में लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण की अन्य योजना राजीव गांधी नगर, आनन्द विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार में समान माप का भूखण्ड आवंटन कर कुछ प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन करने हेतु दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों के निस्तारण के लिए प्रथम आवंटी को यथावत रखते हुए द्वितीय आवंटी को भूखण्ड का आवंटन लॉटरी के जरिये किया जावे या आवंटी से सहमति प्राप्त करके किया जावे, प्रकरण वास्ते अवलोकनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

क्र.स	नाम व पिता का नाम	आवंटन / नीलामी दिनांक	राशि जमा	लीजडीड	भूखण्ड संख्या सेक्टर सहित	क्षेत्रफल	अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति
1.	श्रीमती ओम कुमारी भंसाली	25.05.2005	हॉ	हॉ	ए 9	30x60	नहीं
	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रीराम	26.05.2008	हॉ	हॉ	ए 9	30x60	नहीं
2.	श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री ईस्माइल	12.03.1999	हॉ	हॉ	ए 239	30x60	नहीं
	श्री बाबुलाल पुत्र श्री हाथी राम	28.05.2008	हॉ	नहीं	ए 239	30x60	इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्राप्त
3.	श्रीमती प्रतिभा चौहान पत्नि श्री हनवंत कुमार	17.03.1999	हॉ	हॉ	ए 242	30x60	नहीं
	श्री रामदेव पुत्र श्री बाबूलाल	26.05.2008	हॉ	नहीं	ए 242	30x60	नहीं
4.	श्रीमती निर्मला पत्नि श्री सत्यनारायण	12.03.1999	हॉ	हॉ	बी 21	30x60	नहीं
	श्री जितेन्द्र सिह पुत्र श्री देवी लाल	28.05.2008	हॉ	हॉ	बी 21	30x60	नहीं

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित प्रथम आवंटी का आवंटन यथावत् रखते हुए द्वितीय आवंटी को अन्यत्र समतुल्य वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे Construction of Road in Sector-D & E of Rajiv Gandhi Nagar अनुबंध संख्या F38(02)2021–22 की समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति के संबंध में

Scanned with CamScanner

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	Construction of Road in Sector-D & E of Rajiv Gandhi Nagar के प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य को पूर्ण करने की दिनांक 27.01.2022 थी, लेकिन कार्य दिनांक 20.05.2022 को पूर्ण हुआ है। पत्रावली में सक्षम कमेटी द्वारा कार्य की समयावधि दिनांक 20.05.2022 तक बिना शास्ति के बढा दी गई है। इस कार्य का अन्तिम विपत्र प्रस्तुत हो चुका है, साथ ही संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स जोधपुर द्वारा इस कार्य का Price Esclation का 1st & Final bill राशी 3593969.02 रू. का प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में बिना शास्ति एवं मूल्य विचलन Price Esclation की राशी 3593969.02 रू. के भुगतान होने के कारण समयावधि प्रकरण प्राधिकरण में प्रचलित SOP के बिन्दु संख्या 28 एवं शर्त संख्या 2 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप प्रकरण कार्यकारी समिति की सक्षमता में है। अतः समयावधि प्रकरण बिना शास्ति एवं Price Esclation राशि 35.94 लाख रू. की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में संवदेक के स्तर पर विलम्ब नहीं हुआ है। शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार जिन समयावधि प्रकरणों में प्राईस एसकेलेशन का क्लॉज लागू होता है, कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अतः प्राईस एसकेलेशन का भुगतान किया जाना उचित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार प्राईस एसकेलेशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: डी.पी.एस चौराहे से बोरानाड़ा टोल रोड़ तक सड़क नवीनीकरण के कार्य की सं ोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिक व अतिरिक्त के संबंध में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	डी.पी.एस चौराहे से बोरानाड़ा टोल रोड़ तक सड़क नवीनीकरण के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिक व अतिरिक्त की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 515.92 लाख रू. जॉब नं. 163/2022–23 क्रमांक 1376 दिनांक 28.09.2022के द्वारा जारी हो चुकी है।

पत्रावली के पैरा संख्या 168/N सं 177/N अनुसार कार्य की टेण्डर प्रीमीयम दर 8.91% Above, Extra कार्य 505342.40 व Excess कार्य 8129479.19 रू. होने के कारण संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशी 618.99 रू. की आवश्यकता है। जिसकी स्वीकृति EC की प्रत्याशा में आयुक्त महोदय द्वारा जारी की जा चुकी है।

Scanned with CamScanner

अतः इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशी 618.99 लाख रू. Extra कार्य (0. 94% of Work Order) 505342.40 रू. Excess कार्य (15.12% of Work Order) 8129479.19 रू. की अनुमोदनार्थ प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: जोधपुर सिविल एयरपोर्ट परिसर में सिटी एरिया में स्टील बेरीकेडिंग/रेलिंग लगाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन।

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जोधपुर सिविल एयरपोर्ट परिसर में सिटी एरिया में स्टील बेरीकेडिंग/रेलिंग लगाये जाने का कार्य राशि रू. 11.65 लाख प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को कार्यकारी समिति में अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य वीआइपी/वीवीआईपी के स्वागत, प्रतिवेदन देने हेतु हवाईअड्डे पर जमा होने वाले स्थानीय जन प्रतिनिधि, स्थानीय जनता, मीडिया, पत्रकार एवं अन्य दर्शनार्थी की भीड़ को नियंत्रित करने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु बार–बार लकड़ी की बलियॉ लगाकर बेरिकेटिंग की जाती है। जिससे जिला प्रशासन एवं अन्य सुरक्षा एजेन्सीयों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके स्थाई निदान हेतु सर्किट हाऊस में हुई बेरिकेटिंग की तर्ज पर सिविल एयरपोर्ट परिसर में रेलिंग/बेरिकेटिंग किये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा राशि रू. 11.65 लाख प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मद 5005–01–000–(06) से दिनांक 11.01.2023 को जारी की गई है एवं चुंकि दिनांक 02.02.2023 से 04.02.2023 तक जी–20 देशों का सम्मेलन जोधपुर में होने से यह कार्य शीघ्र सम्पादित किया जाना है। अतः निविदा सूचना संख्या 24/2022–23 क्रमांक जो.वि.प्रा./जोन–पूर्व /2022–23/1856 दिनांक 11.01.2023 को जारी की जा चुकी है।

चूंकि यह कार्य विमानपत्तन निदेशक, जोधपुर की मांग पर जोधपुर एयरपोर्ट के सिटी साईट एरिया के स्थायी स्टील बैरिकेटिंग का कार्य करवाया जाना है। अतः जोधुपर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में बैठक में उक्त जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 11.65 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (राशि रू. लाखों में)	जोन
1	जोधपुर सिविल एयरपोर्ट परिसर में सिटी एरिया में स्टील बेरीकेडिंग/रेलिंग लगाये जाने का कार्य	11.65	पूर्व
	कुल राशि	**11.65 Lakh**	

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी–20/2023/269 दिनांक 16 जनवरी, 2023 द्वारा निकट भविष्य में होने वाले विभिन्न वी.आई.पी. मूवमेन्ट और जी–20 के प्रतिनिधियों की आगामी बैठक के आयोजन की तैयारियों को देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट के सिटी साईड एरिया में स्थायी स्टील बेरिकेडिंग लगाने जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त कार्य की स्वीकृति जारी किया जाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् बैठक में अवगत कराया कि निम्नलिखित एजेण्डा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत एजेण्डा बुक में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति के है जिन पर इस बैठक में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः इस बैठक में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस पर बैठक में सर्व सम्मति से निम्नलिखित प्रस्तावों को टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया। जो इस प्रकार है:–

प्रस्ताव संख्या 17 :: प्राधिकरण कार्यालय में मैन पावर (कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षागार्ड, कार्यालय सहायक) लगाने का कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण कार्यालय में मैन पावर (कम्प्युटर ऑपरेटर, सुरक्षागार्ड, कार्यालय सहायक) लगाने का कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, निविदा दस्तावेज एवं संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरो का अनुमोदन हेतु।

प्राधिकरण कार्यालय में मैन पावर (कम्प्युटर ऑपरेटर, सुरक्षागार्ड, कार्यालय सहायक) लगाने का कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 360.00 लाख की सक्षमता SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 01 के अनुसार सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है, लेकिन कार्य की अतिआवश्यकता को देखते हुये प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई तथा निविदा दस्तावेजो, संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर कम्प्युटर ऑपरेटर @ 11000/ Month, वाहन चालक @ 11000/ Month and कार्यालय सहायक @ 10000/ Month, सुरक्षा गार्ड/गार्डनर @ 10000/ Month का कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किया गया।

कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, निविदा दस्तावेजो एवं संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरो का अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में लिये गये निर्णय यथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 360.00 लाख, निविदा दस्तावेजों एवं संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 18 :: Construction of north Block area and other civil work of ground and practice area in barkatulla khan stadium Jodhpur **के समयावधि प्रकरण व Price Escalation के संबंध मे।**

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Construction of north Block area and other civil work of ground and practice area in barkatulla khan stadium Jodhpur के समयावधि प्रकरण व Price Escalation की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

Construction of north Block area and other civil work of ground and practice area in barkatulla khan stadium Jodhpur के अनुबंध संख्या एफ (02)2021–22/HQ के तहत कार्यादेश जारी किया गया था, कार्यादेश राशि रू. 43185255.00 व कार्य पूर्ण समयावधि 8 माह थी। पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 21.12.2021 थी। कार्य समयावधि के दौरान आई बाधाओ (कोरोना द्वितीय वेव, डिजाईन, इंटीरियर कार्यो को अंतिम रूप देने में देरी) के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही हो सका। कार्य में लगा समय 203 दिन (244–41) + विलम्ब समय 250 दिन कुल अवधि 453 दिन है जो मूल अवधि से 2.23 गुणा है। एसओपी के बिन्दु सं. 28 (II) के अनुसार उक्त प्रकरण के समयावधि की स्वीकृति की सक्षमता "Next Higher Authority of bid sanctioning authority" जो प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि, समयावधि प्रकरण के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को उतरदायी माना गया है। साथ ही फर्म द्वारा अनुबंध के Clause 45 के अनुसार कार्य का Price escalation राशि रू. 3804395.00 (अडतीस लाख चार हजार तीन सौ पिच्चानवे) का प्रस्तुत किया है। दोनो प्रकरणो का परीक्षण उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति की अनुशंषा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार समयावधि प्रकरण बिना शास्ति के व Price Escalation के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर विलम्ब हुआ है। अतः समयावधि प्रकरण बिना शास्ति व प्राईस एक्सकलेशन के साथ बढ़ाया जाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार बिना शास्ति समयावधि प्राईस एक्सकलेशन के साथ बढाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 85.... /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा) 16/1/23
सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांक/बैठक/2023/ 1910-29 दिनांक :: 16 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
11. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त-1/2/3/4/5/6/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता-I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ....

16/1/23

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with CamScanner

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. सुश्री अपूर्वा पोरवाल, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर–दक्षिण
2. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री बी.आर. बेडा, सहायक अभियन्ता–यांत्रिकी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
5. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, जोधपुर
6. श्री हरजी राम चौधरी, उप अधीक्षक, जिला पुलिस (ग्रामीण), जोधपुर
7. श्री शिव नारायण चौधरी, सहायक उपायुक्त–पुलिस (यातायात), पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर
8. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री केवलचन्द गहलोत, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त–1, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री मनोज सोलंकी, उपायुक्त–2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त–3, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री विशनाराम माली, उपायुक्त–5, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0

Scanned with CamScanner